UPHR010041262021

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,(14 वां वित्त आयोग),हरदोई।

सत्र परीक्षण वाद संख्या–907/2021

सरकार बनाम राधिका आदि

दिनांक 05.05.2023

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। विगत तिथि पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र संख्या–20 ब/1 अंतर्गत धारा 319 द०प्र०सं० पर सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र संख्या–20 ब/1

2. वादी मुकदमा माधौराम की तरफ से धारा 319 द०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त श्याम किशोर पुत्र परशुराम निवासी उमरन थाना बहेटा गोकुल व गुडडू पुत्र रामकुमार निवासी टेनी को अभियुक्त के रूप में तलब किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या–20 ब/1 प्रस्तुत किया गया है।

3. वादी मुकदमा ने प्रार्थना पत्र संख्या–20 ब/1 में वर्णित किया है कि– श्याम किशोर उसके लड़के सौरभ द्विवेदी व पत्नी राधिका को घटना से करीब डेढ़ माह पूर्व नौकरी दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गये थे। उसके लड़के सौरभ द्विवेदी की पत्नी राधिका का नाजायज संबंध सोनू पुत्र मदनपाल से थे, जिसका संरक्षण श्याम किशोर व गुडडू करते थे और उसके बेटे द्वारा नाजायज संबंध का विरोध करने पर उसे मारते पीटते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। श्याम किशोर, गुडडू, सोनू व राधिका ने एक राय होकर उसके लड़के की हत्या की योजना बनायी। उसी के तहत दिनांक 06.04.2021 को श्याम किशोर आकर अवनीश द्विवेदी के घर से यह कहकर लिवा ले गये कि वहां उसकी और राधिका की सुलह करा देगें। श्याम किशोर, गुडडू, राधिका व सोनू ने उसके लड़के सौरभ को मारपीट कर व लटकाकर मार डाला, लाश तन्योरा के बाग में फेक दी और स्थानीय पुलिस से मिलकर उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। विवेचनाधिकारी ने श्याम किशोर व गुडडू को अनुचित लाभ पहुचाने हेतु उनका नाम विवेचना से निकाल दिया। प्रस्तुत वाद में प्रार्थी ने स्वयं को पी०डब्लू–1 के रूप में परीक्षित कराया है तथा पी०डब्लू–2 के रूप में अवनीश द्विवेदी को परीक्षित कराया गया है। साक्षी के बयानों में श्याम किशोर व गुडडू के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः श्याम किशोर व गुडडू को अभियुक्तगण के रूप में विचारण हेतु तलब किया जाए।

4. अभियुक्तगण राधिका व सोनू के विद्वान अधिवक्ता की ओर से आदेश पत्रक दिनांक 16.12.2022 के हासिये पर अंकन किया है कि– **"धारा 319 द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र पर**

Digitally signed by KULDEEP SINGH
Date: 2023.05.06 16:21:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई आपत्ति नहीं देनी है।"

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी है कि उसके पुत्र सौरभ द्विवेदी व उसकी पत्नी राधिका को सौरभ द्विवेदी का सगा साढू नौकरी दिलाने की बात कहकर हरदोई लिवा ले गया तथा वहां लड़का व बहू दोनों को श्याम किशोर ने अपने किराये के मकान में रखा। दिनांक 06.04.2021 को वादी मुकदमा के लड़के सौरभ द्विवेदी ने वादी मुकदमा के सगे भतीजे अवनीश द्विवेदी को फोन करके मिलने को बुलाया था। भतीजा अवनीश द्विवेदी लगभग दिन के 9 बजे वादी मुकदमा के लड़के सौरभ द्विवेदी से हरदोई नुमाईश मैदान में मिला तथा सौरभ के साथ उसके साढू श्याम किशोर व साले गुडडू भी मौजूद थे। सौरभ द्विवेदी ने अवनीश को बताया कि उसकी पत्नी राधिका व सोनू पुत्र मदन पाल के बीच नाजायज संबंध है जिसका वह विरोध करता है तथा ये लोग मय राधिका उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी देते है। इस बात की शिकायत करने वादी का बेटा थाना टड़ियावां गया, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर उन्हें वादी का बेटा व वादी के भतीजे के घर धियर महोलिया चला गया। तब समय करीब दिन के 2 बजे श्यामकिशोर वादी मुकदमा के बेटे को अवनीश के घर से यह कहकर लिवा ले गया कि वह सौरभ, राधिका व सोनू के बीच आपस में समझौता करा देगा, जिसका वादी मुकदमा के बेटे को विश्वास हो गया और वह इसी विश्वास पर श्यामकिशोर के किराये वाले मकान हरदोई चला गया। अगले दिन समय करीब 11 बजे वादी के लड़के गौरव का फोन आया कि सौरभ की हत्या हो गयी। वादी के पुत्र सौरभ की हत्या श्याम किशोर, गुडडू व राधिका ने एक साथ मिलकर सुनायोजित ढ़ग से कर दी है।

7. उक्त आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुकदमा अपराध संख्या–500/2021 पंजीकृत हुई। विवेचक द्वारा विवेचना में यह पाया गया कि वादी मुकदमा के लड़के द्वारा आत्महत्या की गयी है तथा अभियुक्तगण सोनू व राधिका के द्वारा उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया है। श्याम किशोर व गुडडू की नामजदगी गलत पाते हुए, उनके नाम विवेचना में पृथक करते हुए अभियुक्तगण राधिका व सोनू के विरूद्ध धारा 306 भा०द०सं० में विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया जिस पर संज्ञान लिया गया। पत्रावली पर सेशन सुपुर्द होने के बाद धारा 306 भा०दं०सं० के अंतर्गत राधिका व सोनू के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया है। अभियोजन की ओर से पी०डब्लू–1 माधौराम, पी०डब्लू–2 अवनीश द्विवेदी एवं पी०डब्लू–3 गौरव द्विवेदी को परीक्षित कराया गया है।

8. उपरोक्त मामले में धारा 319 द०प्र०सं० के प्रावधान का उल्लेख किया जाना समीचीन है–

धारा 319 द०प्र०सं०– अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्ति –

(1) जहाँ किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी

व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है ।

(2) जहाँ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहाँ पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार, गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है।

(4) जहाँ न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है, वहां–

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा;

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था, जिस पर जांच या विचारण प्रारम्भ किया गया था।

9. प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा माधौराम ने स्वयं को पी०डब्लू–1 के रूप में परीक्षित कराया है तथा प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि "श्याम किशोर मेरे लड़के के बड़े सगे साढू लगते थे। मेरा लड़का श्याम किशोर के यहां रहता था। अवनीश द्विवेदी मेरे भतीजे है सौरभ द्विवेदी ने दिनांक 06.04.2021 प्रातः 6 बजे अवनीश को बात करने के लिए बुलाया था। फोन से बुलाया था। फोन नम्बर मुझे नहीं मालूम। मैंने सौरभ द्विवेदी के फोन नम्बर का पता लगाने की कोशिश नहीं की। अवनीश द्विवेदी के साथ मैं नहीं आया था। मुझे पता नहीं था। 7 तारीख को मिलने पर मेरे लड़के ने अवनीश के बारे में मुझे बताया था। सौरभ के साथ राधिका आयी थी। अवनीश अकेले आये थे। दिनांक 06.04.2021 को मुलाकात अवनीश की मेरे लड़के से नुमाईश मैदान में हुयी थी। जहां रामलीला होती है। जब अवनीश आये थे तब गुडडू व श्याम किशोर वहां पहले से मौजूद थे। इसके अलावा सौरभ भी था। मैंने राधिका और सोनू के बीच में नाजायज संबंध नहीं देखे। मैंने सुना था। सोनू पहले से हमारे यहां आते जाते नहीं थे। मेरे समाने राधिका और सौरभ के बीच मारपीट हुयी थी। फोन करने के लेकर मारपीट हुयी थी। इस घटना के तीन साल पहले मारपीट हुयी थी। इस मारपीट की तारीख उसे याद नहीं है। इसके बाद कोई मारपीट हुई या नहीं मुझे नहीं मालूम।"

10. वादी मुकदमा के भतीजे अवनीश द्विवेदी को पी०डब्लू–2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "घटना वाले दिन मुझे सौरभ ने फोन करके बुलाया था। फोन नम्बर मुझे याद नहीं है। सौरभ ने फोन मुझे करीब साढे छः व सात बजे किया था। केवल कहा था कि आपस मिलना है। मैं अकेले ही आया था। साथ में कोई नहीं आया था। श्याम किशोर व

गुडडू उस दिन सौरभ के साथ मिले थे। श्याम किशोर से मेरी कोई बात नहीं हुयी थी। उसके बाद श्याम किशोर सुलह का बहना बनाकर सौरभ को लेकर चले गये थे। फिर मैं नहीं जान पाया कि श्याम किशोर सौरभ को कहा ले गये थे। श्याम किशोर सौरभ के साथ रहते थे।"

11. गौरव द्विवेदी पी०डब्लू–3 के रूप में प्रस्तुत हुए है जिन्होंने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि " सौरभ के सगे साढू श्याम किशोर है। श्याम किशोर सौरभ को किस तारीख को बुलाकर ले गये थे याद नहीं है। श्याम किशोर, सौरभ व उसकी पत्नी राधिका को लेकर गये थे। अवनीश सौरभ के चचेरे भाई है। जब अवनीश सौरभ से मिलने नुमाईश में आये थे तब मैं साथ में नहीं था।"

12. वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण सोनू व राधिका के साथ–साथ प्रस्तावित अभियुक्तगण श्याम किशोर व गुडडू पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु थाने पर तहरीर दी गयी थी जिस पर थाने पर अभियुक्तगण श्याम किशोर, गुडडू, सोनू व राधिका के विरूद्ध धारा 302 द०प्र०सं० में मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसे विवेचक द्वारा विवेचना में सही नहीं पाया गया। विवेचक द्वारा विवेचना में वादी मुकदमा के पुत्र सौरभ की मृत्यु आत्महत्या कर लेने के कारण होने का निष्कर्ष निकाला गया तथा उक्त आत्महत्या के लिए उसे दुष्प्रेरित करने के लिए अभियुक्त सोनू व राधिका को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। साक्षी पी०डब्लू–1 वादी मुकदमा द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये गये कथनों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि वादी मुकदमा को दिनांक 07.04.2021 को उसके पुत्र गौरव द्विवेदी पी०डब्लू–3 के बताने पर सौरभ की मृत्यु की जानकारी हुई थी। वादी मुकदमा को दिनांक 06.04.2021 की मुलाकात के संबंध में अपने पुत्र से पता चला था। वादी मुकदमा को प्रस्तुत मामले के संबंध में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे श्याम किशोर व गुडडू की अपराध में संलिप्तता इंगित हो। पी०डब्लू–3 गौरव द्विवेदी वादी मुकदमा का पुत्र है जिसके द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये गये कथन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.04.2021 को जब मृतक सौरभ द्विवेदी, अवनीश द्विवेदी से मिलने गया था तो यह उनके साथ नहीं था। दिनांक 06.04.2021 की मुलाकात में हुयी बात के संबंध में उसे अवनीश ने ही बताया था। पी०डब्लू–2 अवनीश द्विवेदी द्वारा यद्यपि प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि श्याम किशोर व गुडडू घटना वाले दिन सौरभ के साथ मिले थे। वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में यह वर्णित किया है कि घटना वाले दिन मृतक सौरभ को राधिका के नाजायज संबंधों का विरोध करने पर सभी लोग जान से मारने की धमकी देते है, परन्तु इस साक्षी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि श्याम किशोर व गुडडू ने घटना वाले दिन मृतक सौरभ को दुष्प्रेरित किया था।

13. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी,पी०डब्लू–1,पी०डब्लू–2 व पी०डब्लू–3 के बयानों से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आया है जिससे प्रस्तावित अभियुक्तगण की उक्त अपराध में संलिप्तता प्रतीत होती हो।

14. धारा 319 दं०प्र०सं० की उपधारा 1 के अनुसार जहाँ किसी अपराध की जाँच या विचारण के दौरान साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, उसने ऐसा अपराध किया, जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, अथवा उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिये, जिसको उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है। अतः उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 319 दं०प्र०सं० ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में है, जिन्हें विवेचक द्वारा आरोप पत्र में अभियुक्त नहीं बनाया गया है, लेकिन विचारण में उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

15. विधि व्यवस्था **सुनील कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, क्रिमिनल अपील संख्या 395/2019 निर्णय दिनांकित 27.02.2019** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रावधान पर विस्तृत रूप से विचार करते हुए तथा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अतिरिक्त अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किये जाने की न्यायालय की शक्ति एक विवेकीय तथा असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग यदाकदा समुचित मामले में बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिये। धारा 319 दं०प्र०सं० की शक्तियों के प्रयोग के लिये व्यक्ति के अपराध में शामिल होने की सम्भावना ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उसके लिये कहीं अधिक ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में यदि प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित रहने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि में परिवर्तित हो सकता है तो इस शक्ति को प्रयोग उचित है। इस शक्ति का प्रयोग केवल इसलिये नहीं किया जाना चाहिये कि प्रथम सूचनादाता या गवाह में से कोई अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही चाहता है। इस शक्ति के प्रयोग के लिये न्यायालय को पर्याप्त और ठोस कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Juhru vs. Karim & Anr. SLP (Criminal) No. 1658 Of 2020, निर्णीत दिनांकित 21.02.2023** में अवधारित किया गया है कि, "To prevent the frequent misuse of power to summon additional accused under section 319 Cr.P.C., and in conformity with the binding judicial dictums referred to above, the procedural safeguard can be that ordinarily the summoning of a person at that the very thereshold of the trial may be discouraged and the trial court must evaluate the evidence against the persons sought to be summoned and then adjudge whether such material is, more or less, carry the same weightage and value as has been testified against those who are already facing trial. In the absence of any credible evidence, the power under Section 319 Cr.P.C. ought not to

be invoked."

17. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयानों में प्रस्तावित अभियुक्तगण की संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकृति का नहीं है कि उसके अखण्डित रहने के आधार पर भी प्रस्तावित अभियुक्तगण की दोषसिद्धि सम्भव हो। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्तों की कसौटी पर परखने पर यह मामला धारा 319 दं०प्र०सं० की शक्तियों के प्रयोग के लिये समुचित मामला नहीं पाया जाता है। अतः अभियोजन की ओर से धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

18. प्रार्थना पत्र संख्या– 20ब/1, अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 24.05.2023 को पेश हो। अभियोजन अपने गवाह प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–05.05.2023

(कुलदीप सिंह–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(14 वीं वित्त आयोग योजना के अंतर्गत सृजित),
हरदोई।